अनुबंध VI (इन निदेशों के अनुच्छेद 22 की तुलना करें)

फार्म ।: प्रायोजक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

एआरसी का नाम :

सं.क्र.	विवरण	टिप्पणी	
भाग A			
1.	प्रायोजक का नाम (पिछले नामों सहित, यदि कोई हो, ऐसे परिवर्तनों की तारीख सहित)		
2.	प्रायोजक का वर्तमान एवं स्थायी पता		
3.	प्रायोजक का पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय का पता		
4.	प्रायोजक का व्यवसाय/व्यवसाय की प्रकृति		
5.	यदि प्रायोजक एक व्यक्ति है तो नागरिकता और निवासी की स्थिति/ यदि प्रायोजक एक इकाई है तो स्वामित्व और नियंत्रण की स्थिति (फेमा के अनुसार)		
6.	जन्मतिथि/निगमन		
7.	सीआईएन/पंजीकरण संख्या/पैन/टैन		
8.	बैंक खातों का विवरण - बैंक, शाखा और खाता संख्या।		
9.	पिछले 3 वर्षों के लिए लाभप्रदता और औसत आय और निवल मूल्य (सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित)		
10.	शेयरों/अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों/डिबेंचर/बांडों के अधिग्रहण के लिए धन का स्रोत (सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित)		
11.	पिछले 3 वर्षों के लिए प्रायोजक के आयकर विवरणी और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण		

सं.क्र.	विवरण	टिप्पणी
12.	वित्तीय क्षेत्र में बैंकों और अन्य संस्थानों में प्रायोजक के निदेशक पद/शेयरधारिता/मतदान अधिकार/अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर/डिबेंचर/बांड आदि का विवरण	
13.	एआरसी में प्रायोजक द्वारा अधिग्रहण का विवरण (शेयरधारिता ₹ और % में)।	
14.	क्या प्रस्तावित अधिग्रहण में किसी अन्य व्यक्ति का लाभकारी हित है	
15.	प्रायोजक की पृष्ठभूमि और अनुभव, विशेषज्ञता और व्यवसाय के ट्रैक रिकॉर्ड पर विस्तृत प्रोफ़ाइल	
16.	क्या प्रायोजक वित्तीय क्षेत्र की इकाई/सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है	
17.	क्या प्रायोजक को पिछले 5 वर्षों में किसी भी समय इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है यदि हाँ, तो क्या प्रायोजक इरादतन चूककर्ता बना रहेगा?	
	भाग बी	
18.	(ए) प्रायोजक के 'रिश्तेदारों' की सूची (बी) प्रायोजक के साथ 'मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों' की सूची (सी) प्रायोजक के सहयोगी उद्यमों की सूची (डी) उन संस्थाओं की सूची जिनके पास प्रायोजक की चुकता शेयर पूंजी का 10% या अधिक हिस्सा है (ई) एचयूएफ की सूची जहां प्रायोजक या उसके परिवार का सदस्य, सदस्य/कर्ता है (एफ) उन संस्थाओं की सूची जिनमें उपरोक्त (ई) पर एचयूएफ के पास उस इकाई की चुकता शेयर पूंजी का 10% या अधिक हिस्सा है (जी) उन संस्थाओं की सूची जिनमें प्रायोजक के पास उस इकाई की चुकता शेयर पूंजी का 10% या अधिक हिस्सा है (एच) संस्थाएं, यदि कोई हों, जिनमें प्रायोजक को रुचि रखने वाला माना जाता है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें)	

सं.क्र.	विवरण	टिप्पणी		
	(आई) ऐसी संस्थाएँ जहाँ प्रायोजक के आम शेयरधारक हैं जो सामूहिक रूप से प्रायोजक की भुगतान की गई शेयर पूंजी का 20% या अधिक हिस्सा रखते हैं और वे संस्थाएँ भी			
	(जे) प्रायोजक की संबंधित पार्टी (एएस 18 देखें)।			
	स्पष्टीकरणः इस भाग के प्रयोजन के लिए,			
	(i) "रिश्तेदार" का अर्थ है 'रिश्तेदार' जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77) में परिभाषित किया गया है।			
	(ii) व्यक्तियों को "मिलकर कार्य करने वाला" माना जाएगा जो, 10% से अधिक शेयरों के अधिग्रहण के एक सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य के लिए, एक करार या समझ (औपचारिक या अनौपचारिक) के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एआरसी में शेयरों को प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए सहमत होकर सहयोग करेंगे;			
	(iii)''प्रायोजक के सहयोगी उद्यम' का अर्थ है ऐसी कंपनी, चाहे निगमित हो या नहीं, जो			
	(ए) एक धारक कंपनी या प्रायोजक की अनुषंगी कंपनी हैं; या			
	(बी) प्रायोजक का एक संयुक्त उद्यम (एएस 23 के अनुसार परिभाषित) है; या			
	(सी) प्रायोजक को नियंत्रित करने वाले निदेशक मंडल या अन्य निकाय की संरचना को नियंत्रित करता हैं; या			
	(डी) प्रायोजक की गतिविधियों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम है।			
भाग सी				
19.	क्या प्रायोजक या भाग बी में सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को किसी भी समय दिवाला/दिवालिया घोषित किया गया है			
20.*	यदि प्रायोजक या भाग बी में सूचीबद्ध व्यक्ति/संस्थाएं किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन/निकाय का सदस्य है, तो उसके विरुद्ध अतीत में लंबित या शुरू हुई या जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई है, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई है या क्या उसने किसी भी समय किसी भी प्रोफेशन/व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है			

सं.क्र.	विवरण	टिप्पणी	
21.*	प्रायोजक या भाग बी में सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ अतीत में		
	लंबित या शुरू किए गए या जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई हो, गंभीर अनुशासनात्मक या आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो		
22.*	क्या प्रायोजक या भाग बी में सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को किसी भी समय कारण बताओ नोटिस जारी करने सहित सीमा शुल्क द्वारा नियमों/विधायी आवश्यकताओं/ उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व प्राधिकरण / जांच एजेंसियां / आर्थिक विधि / कोई विनियमन, के उल्लंघन/ का दोषी पाया गया है, यदि हां, तो विवरण दें		
23.	क्या प्रायोजक या भाग बी में सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को जनता के सदस्यों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बनाए गए किसी कानून के तहत बेईमानी, अक्षमता या कदाचार के कारण किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है		
24.	क्या भाग बी में सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को पिछले 5 वर्षों में किसी भी समय इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या वह इरादतन चूककर्ता बना रहेंगे?		
भाग डी			
25.	यदि प्रायोजक एक विनियमित इकाई है, तो भारत और विदेश में प्रायोजक के विनियामकों के नाम और पते		
26.	प्रायोजक का शेयरधारिता पैटर्न		
27.	पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रायोजक द्वारा जुटाई गई पूंजी का विवरण		
28.	यदि प्रायोजक किसी समूह से संबंधित है तो समूह की विस्तृत कॉर्पोरेट संरचना (अधिमानतः सचित्र रूप में)		

^{*} हालाँकि किसी व्यक्ति के लिए कॉलम में विनियामकों द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में उल्लेख करना जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया / पूरी तरह से अलग कर दिया गया, आवश्यक नहीं होगा, तथापि, यदि रद्द करना/अलग करना तकनीकी कारणों जैसे सीमा या क्षेत्राधिकार की कमी आदि पर है, न कि योग्यता के आधार पर, तो इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि विनियामक के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है और अपीलीय/अदालत की कार्यवाही लंबित है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

वचन पत्र

मैं पुष्टि करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्त जानकारी सत्य और पूर्ण है। मैं इस घोषणा को प्रस्तुत करने के बाद होने वाली सभी घटनाओं के बारे में एआरसी को यथाशीघ्र पूरी तरह से सूचित करने का वचन देता हूं, जो उपरोक्त जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं।

प्रायोजक के हस्ताक्षर और मुहर

स्थान :

तारीख:

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्त कथन में दी गई जानकारी सही, पूर्ण और सही मायने में बताई गई है।

कंपनी के अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पद का नाम :

कंपनी की मुहर :

तारीख:

स्थान :

भाग ई एआरसी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी
29.	उक्त मदों के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/जानकारी प्रायोजक की "उपयुक्त और उचित" स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक मानी जाएँ	
30.	शेयरधारक करारों का संक्षिप्त विवरण	

कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :

पद का नाम:

कंपनी की मुहर:

तारीख :

स्थान :